झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.

इंटरमीडिएट स्तर (कम्पयूटर ज्ञान एवं हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2017

आवश्यक सूचना

प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

दिनांक :–03.12.2020

इंटरमीडिएट स्तर (कम्पयूटर ज्ञान एवं हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2017 (विज्ञापन संख्या 01/2017 एवं 02/2017) की मुख्य परीक्षा के आधार पर आयोजित कौशल जाँच परीक्षण के फलाफल के आधार पर अतिरिक्त अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच आयोग कार्यालय कालीनगर, चाय बागान, नामकोम, राँची में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी। अभ्यर्थी जाँच शुरू होने से दो घण्टा पहले जाँच स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ।

प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

Date - 04.01.2021 **Time:-02:00 PM to 04:00 PM**

अनुक्रमांकः– 1151024857, 1156030005, 1159062508, 1171152541, 1353030083, 1355030490, 1356064057, 1357034019, 1366030172, 1451030749, 1454032384, 1461020131. **(Total - 12)**

Date - 05.01.2021 **Time:-02:00 PM to 04:00 PM**

अनुक्रमांकः– 1464034321, 1465030127, 1551030199, 1560040013, 1564034135, 1567034219, 1754022130, 1754030093, 1765034277, 1770032120, 1853020132, 1857110103. **(Total - 12)**

Date - 06.01.2021 **Time:-02:00 PM to 04:00 PM**

अनुक्रमांकः– 1858110043, 1859034006, 2056062071, 2056064084, 2152022017, 2154034078, 2162034179, 2170032033, 2180034116, 2190032455, 2193035168. **(Total - 11)**

2. अभ्यर्थी जाँच हेतु नीचे दिए गये अभिलेखों, प्रमाण पत्रों इत्यादि की मूल प्रति एवं एक–एक स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों इत्यादि की सूची नीचे अंकित है :–

I. उपर्युक्त परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा एवं कौशल जाँच परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र (Admit Card)

II हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (आवेदन पत्र में अपलोड किए गये फोटो के सदृश्य)

III. मैट्रिक उत्तीणता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।

IV. इंटरमीडिएट /(10+2) उत्तीणत्ता से सम्बंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

V. क) **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्रः**– स्थानीय निवासी होने का दावे करने वाले अभ्यर्थी जिले के उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.2016 से दिनांक 24.07.2017 तक निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।

ख) **जाति प्रमाण पत्रः–**

i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट–I के प्रपत्र में उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2017 तक निर्गत।

ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए दिनांक 31.03.2015 से दिनांक 24.07.2017 तक विवरणिका के परिशिष्ट–II के प्रपत्र में उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जिसमें क्रिमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो।

VI. निःशक्त अभ्यर्थी के लिए

क) **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्रः–** आवेदित जिले के उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.2016 से दिनांक 24.07.2017 तक निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ख) **निःशक्तता प्रमाण पत्रः–** आवेदन भरने की अंतिम तिथि 24.07.2017 तक 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो झारखण्ड राज्य के किसी जिले के मेडिकल बोर्ड से निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र।

नोटः– दिनांक 24.07.2017 के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

VII. भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमान्यता के सम्बन्ध मेंः– भूतपूर्व सैनिक होने का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र।

VIII. तलाकशुदा महिला अथवा विधवा महिला का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र/अभिलेख मान्य होंगे :–

(क) तलाकशुदा महिला के लिएः– दिनांक 24.07.2017 को अथवा इसके पूर्व सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र।

(ख) विधवा महिला के लिये दिनांक 24.07.2017 को अथवा इसके पूर्व पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ पुर्नविवाह नहीं होने का एक अद्यतन शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

3. COVID-19 के कारण अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेशः–

क) अभ्यर्थी को आयोग परिसर में थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश दिया जायेगा।

ख) किसी अभ्यर्थी में COVID-19 के लक्षण पाये जाने पर आयोग परिसर में उनके प्रवेश की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में आयोग का निर्णय अलग से संसूचित किया जायेगा।

ग) प्रत्येक अभ्यर्थी का नाक और मुँह मास्क से ढका होना अनिवार्य है।

घ) थर्मल स्कैनिंग एवं प्रमाण पत्रों के जाँच के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के बीच तथा जाँचकर्त्ता पदाधिकारी की आपसी दूरी न्यूनतम 2 मीटर होगी। यही दूरी फोटो एवं हस्ताक्षर मिलान के समय भी सुनिश्चित की जायेगी।

ड़) जाँच हेतु उपस्थित होने पर कोई भी अभ्यर्थी आयोग परिसर के मुख्य गेट से दो मीटर की दूरी भी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

च) उक्त अनुदेशों का विचलन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं की जायेगी।

4. **अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना किसी अभ्यर्थी का अंतिम चयन नहीं है।**

5. **विज्ञापन से सम्बद्ध विवरणिका की कंडिका– 15 (ii) के आलोक में प्रथम चरण में आयोजित कौशल जाँच परीक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर वैध अभ्यर्थियों से विज्ञापित रिक्तियाँ अपूरित रहने की स्थिति में लिखित परीक्षा के मेधाक्रमानुसार अन्य अभ्यर्थियों को कौशल जाँच परीक्षण के लिए द्वितीय चरण में अल्पसूचीबद्ध किया जा सकता है। पद की अपेक्षा के अनुरूप द्वितीय चरण में आयोजित कौशल जाँच परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिक्ति के सापेक्ष पुनः प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।**

6. उक्त कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 18.01.2021 को एक अंतिम अवसर दिया जायेगा। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।